


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.s.Act Case No. 75/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
28.6.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी गिरीराज सिंह राठौड पुत्र हिरा सिंह जी राठौड, निवासी- 6/7 सानन्द हाउस, नक्की लेक, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म एम. के. रेस्टोरेन्ट, एम. के.सर्कल, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही व प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री विरेन्द्र सिंह चौहान उपस्थित।</p> <p>आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा (हाल निलम्बित) द्वारा दिनांक 25.2.2022 को फर्म एम.के. रेस्टोरेन्ट, एम.के. सर्कल, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही में प्रतिवादी गिरीराज सिंह राठौड से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना संख्या S-1836 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./654/Act/2022/641 दिनांक 10.3.2022 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 28.6.2023 को प्रतिवादी गिरीराज सिंह राठौड ने उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी व उसके अधिवक्ता को सुना गया।</p> <p>हमने पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही (हाल निलम्बित) ने दिनांक 25.2.2022 को फर्म एम.के. रेस्टोरेन्ट, एम.के. सर्कल, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता गिरीराज सिंह राठौड पुत्र हिरा सिंह जी राठौड, निवासी- 6/7 सानन्द हाउस, नक्की लेक, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही से फर्म एम.के. रेस्टोरेन्ट में रखे हुए खाद्य पदार्थ पनीर (लगभग 5 किलोग्राम) में से एक किलोग्राम पनीर को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ पनीर के नमूना संख्या S-1836 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./654/Act/2022/641 दिनांक 10.3.2022 के अनुसार अमानक (sub-standard) पाया गया है। इससे, यह स्पष्ट है कि फर्म एम.के. रेस्टोरेन्ट, एम.के. सर्कल, माउन्ट आबू में</p> <p>.....लगातार</p>	



श्री. वि. व. वि. वि.
सिरोही-307801.



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.s.Act Case No. 75/2023	नम्बर व तारिख अहम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
	<p>प्रतिवादी गिरीराज सिंह राठौड़ द्वारा अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।</p> <p>अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर के विक्रय हेतु प्रतिवादी गिरीराज सिंह राठौड़ पुत्र हिरा सिंह जी राठौड़, निवासी- 6/7 सानन्द हाउस, नक्की लेक, माउन्ट आबू, जिला- सिरौही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म एम. के. रेस्टोरेन्ट, एम. के. सर्कल, माउन्ट आबू, जिला- सिरौही पर राशि रुपये 10,000/- (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी गिरीराज सिंह राठौड़ को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरौही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 01.8.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  (के.आर. खौड़) जज, जिला मजिस्ट्रेट सिरौही-307001 </p>	

